

# न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 03/2018

ग्राम पंचायत ब्यावरखास पं० स० जवाजा जरिये मूलसिंह ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत ब्यावरखास, पंचायत समिति जवाजा, जिला अजमेर

.....निगरानीकार

बनाम

श्री कानाराम पुत्र श्री रामरतन, जाति नामालूम, निवासी ग्राम ब्यावरखास, ग्राम पंचायत ब्यावरखास, पंचायत समिति जवाजा, जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

## अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996

- उपस्थित :-
1. श्री राजीव सक्सेना, वकील निगरानीकार की ओर से।
  2. श्री महेश शर्मा, वकील अप्रार्थी की ओर से।

—: आदेश :-

दिनांक – 30.05.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम पंचायत ब्यावरखास में दिनांक 11.07.2017 को आयोजित पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पट्टा वितरण शिविर में ग्राम पंचायत ब्यावरखास पंचायत समिति जवाजा द्वारा अपने संकल्प संख्या 02 दिनांक 11.07.2017 की अनुपालना में ग्राम ब्यावरखास के आबादी आराजी खसरा नम्बर 2361 में से अप्रार्थी श्री कानाराम पुत्र श्री रामरतन, निवासी ग्राम ब्यावरखास, ग्राम पंचायत ब्यावरखास, पंचायत समिति जवाजा, जिला अजमेर के पक्ष में आबादी भूमि में आवासीय प्रयोजनार्थ बुक संख्या 04 पट्टा संख्या 14 दिनांक 11.07.2017 क्षेत्रफल 199.11 वर्गगज जारी कर दिया। निगरानीकार ने अप्रार्थी के पक्ष में जारी किए गये विवादित पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरुद्ध बताते हुए यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है। निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया तथा अप्रार्थी के नाम नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुए। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत ब्यावरखास द्वारा पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पट्टा वितरण शिविर में ग्रामवासियों से पूर्व में आवेदन पत्र प्राप्त कर समुचित प्रक्रिया अपनाते हुए आपत्ति हेतु विज्ञप्ति सूचना पट्ट पर जारी कर 605 ग्रामवासियों को भूखण्ड के पट्टे आबादी भूमि में जारी किये गये। आक्षेपीय पट्टा सीमाज्ञान की पूर्ण जानकारी नहीं होने से त्रुटिवश अवैध रूप से जारी कर दिया। शिकायतकर्ता श्री उमराव सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह द्वारा प्रस्तुत परिवाद/शिकायत की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पट्टों में से चार पट्टों की सीमांकन का कुछ भू-भाग आंशिक रूप से अन्य निजी खातेदारों की सीमा में प्रभाव डालता है।



अपर कलक्टर  
अजमेर

कायतकर्ता जो कि स्वयं उक्त ग्राम के मुखिया रहे हैं उनके द्वारा शिकायत समयवधि में प्रस्तुत कर दी जाती तो ग्राम पंचायत को बिना वजह परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इनको पूर्ण तथ्यों की जानकारी न होना केवल मात्र राजनैतिक द्वेषता रखना एवं ग्राम पंचायत के विकास की कार्यवाही में सद्भावना नहीं रखना दर्शाता है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि निगरानी याचिका स्वीकार कर अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपीय पट्टा विलेख निरस्त किया जावे।

वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी का कथन है कि शिकायतकर्ता श्री उमराव सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध राजनैतिक व व्यक्तिगत द्वेषता के कारण झूठी, भ्रामक व मनगढन्त शिकायत प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी का आक्षेपीय पट्टे की भूमि पर पूर्वजों के समय से ही कब्जा चला आ रहा है एवं ग्राम पंचायत द्वारा पुश्तैनी आराजी का ही विधिवत रूप से पट्टा जारी किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान की त्रुटि का जो कथन किया है वह सारहीन व निराधार है। उनका आगे कथन है कि आक्षेपीय आवासीय भूमि का पट्टा दिनांक 17.10.2017 को उप पंजीयक ब्यावर के कार्यालय में पंजीकृत कराया जा चुका है। निगरानीकार ग्राम पंचायत ब्यावरखास अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत पट्टा विलेख को निरस्त करवाना चाहते हैं। अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा विलेख रजिस्टर्ड दस्तावेज की श्रेणी का है तथा ऐसे रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त कराये जाने की सुनवाई का विधिक क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को न होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत की बैठक में सरपंच, हल्का पटवारी, ग्राम सेवक व अन्य राजकीय कार्मिक उपस्थित रहे हैं एवं इनकी उपस्थिति में सर्वसम्मति से अप्रार्थी को आवासीय भूमि का पट्टा जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज/तथ्यों से पूर्ण रूप से सिद्ध है कि अप्रार्थी द्वारा विवादित आवासीय भूमि का पट्टा उप पंजीयक ब्यावर के कार्यालय में दिनांक 17.10.2017 को पंजीकृत कराया जा चुका है। पंजीकृत पट्टे को निरस्त करने की शक्तियां विचारणीय न्यायालय को न होकर सक्षम सिविल न्यायालय में नीहित है। निगरानीकार को विचाराधीन निगरानी के माध्यम से इस न्यायालय से कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। निगरानीकार चाहे तो आक्षेपीय आवासीय पट्टे का पंजीयन निरस्त कराने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है। फलस्वरूप निगरानी याचिका पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)  
अपर कलेक्टर,  
अजमेर